सत्यमेव जयते

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई
(एक आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित संगठन)
(औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग)

"डॉक नियमों और आईएमडीजी कोड के अनुपालन में बंदरगाह, डॉक और समुद्री सुरक्षा" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(02 – 04 दिसंबर 2026)

संस्थान के बारे में:

क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई), चेन्नई, डीजीओएसएच (पूर्व में डीजीएफएएसएलआई) का एक अधीनस्थ कार्यालय, भारत के दक्षिणी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आरएलआई चेन्नई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और ओएसएच (व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य) पर पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

पाठ्यक्रम के बारे में:

बंदरगाह, डॉक और समुद्री संचालन में कार्गो हैंडलिंग, उठाने वाले उपकरणों, जहाज-किनारे इंटरफेस, खतरनाक सामान, वाहन आंदोलन और सीमित स्थान के काम से जुड़े महत्वपूर्ण व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम शामिल हैं। डॉक सुरक्षा नियमों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान (आईएमडीजी) कोड का पालन न करने के परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं, व्यावसायिक बीमारियां, संपत्ति की क्षति और पर्यावरणीय आपात स्थिति हो सकती है।

इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और निवारक उपायों में प्रतिभागियों की दक्षताओं को बढ़ाना है। इसमें सुरक्षित बंदरगाह और समुद्री संचालन को बढ़ावा देने के लिए वैधानिक अनुपालन, सुरक्षित कार्गो हैंडलिंग, उठाने वाले उपकरणों का निरीक्षण, खतरनाक-सामान प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी और घटना प्रबंधन शामिल होंगे।

उद्देश्य:

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है:

- बंदरगाह, डॉक और समुद्री संचालन में OSH खतरों को समझें।
- डॉक सुरक्षा नियमों और वैधानिक आवश्यकताओं का ज्ञान बढ़ाएँ।
- खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और जेएसए में कौशल विकसित करना।
- कार्गो-हैंडलिंग और उठाने वाले उपकरणों के सुरक्षित संचालन, निरीक्षण और रखरखाव को बढ़ावा देना।
- खतरनाक सामानों के सुरक्षित संचालन और परिवहन के लिए IMDG कोड आवश्यकताओं को समझें।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य, एर्गोनॉमिक्स और पीपीई के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- आपातकालीन तैयारी, अग्नि सुरक्षा, रिसाव प्रतिक्रिया और घटना प्रबंधन को मजबूत करना

पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यस्थल परिदृश्यों में प्रभावी शिक्षण और व्यावहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्रों, केस स्टडीज और इंटरैक्टिव चर्चाओं के माध्यम से दिया जाएगा।

1. कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति।
2. OSHWC कोड 2020 का परिचय।
3. डॉक श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण - नियामक आवश्यकताएं और सुरक्षित कार्य प्रथाएं।
4. कार्गो हैंडलिंग, उठाने वाले उपकरण और बंदरगाह उपकरण - सुरक्षित संचालन और निरीक्षण।
5. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान (आईएमडीजी) कोड - वर्गीकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रलेखन और हैंडलिंग।
6. जहाज-तट इंटरफ़ेस, मूरिंग ऑपरेशन, जहाजों तक पहुंच और सीमित-स्थान सुरक्षा।
7. खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (HIRA) और नौकरी सुरक्षा विश्लेषण (JSA)।
8. बंदरगाह और डॉक संचालन में व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता और एर्गोनॉमिक्स।
9. आपातकालीन तैयारी, अग्नि सुरक्षा, रिसाव प्रतिक्रिया और घटना प्रबंधन।
10. हीट वेव की तैयारी और शमन के उपाय

प्रतिभागी:

यह कार्यक्रम बंदरगाह और डॉक अधिकारियों, सुरक्षा पेशेवरों, समुद्री कर्मियों, इंजीनियरों, कार्गो-हैंडलिंग पर्यवेक्षकों, खतरनाक-सामान संचालकों, ठेकेदारों और रसद प्रबंधकों के लिए है। यह व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता, उपकरण निरीक्षण और रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और बंदरगाह और समुद्री संचालन में वैधानिक अनुपालन में शामिल कर्मियों के लिए भी उपयुक्त है.

दिनांक और समय:

तीन दिन, 02 से 04 दिसंबर 2026 1000 बजे से 1700 बजे तक।

कार्यक्रम-स्थल:

वेबिनार हॉल, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई अड्यार, टीटीटी आई, तारामणि पोस्ट, तमिलनाडु -600113

1) संस्थान शुल्क:

भारत कोष पोर्टल के माध्यम से प्रति प्रतिभागी 5000 / – (पांच हजार रुपये मात्र) देय है। **आरएलआई, चेन्नई से नामांकन की पुष्टि प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित चरणों का पालन करके ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है**। कृपया ध्यान दें, संस्था शुल्क जलपान या कामकाजी दोपहर के भोजन को कवर नहीं करता है।

2) भुगतान प्रक्रियाएं:

त्वरित भुगतान का चयन करने https://bharatkosh.gov.in लिए लॉगिन करें
मंत्रालय: 021- श्रम और रोजगार उद्देश्य: सेवा और सेवा शुल्क
वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ): 030461 - पीएओ, डीजीई एंड टी II, चेन्नई
डीडीओ कोड: 230475 (क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई)
टिप्पणी: " डॉक नियमों और आईएमडीजी कोड के अनुपालन में बंदरगाह, डॉक और समुद्री सुरक्षा " पर प्रशिक्षण कार्यक्रम.

छात्रावास:

संस्थान के छात्रावास में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दोहरे साझाकरण के आधार पर सीमित संख्या में गैर-पारिवारिक छात्रावास आवास उपलब्ध है। आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।

प्रशिक्षण प्रमुख: श्री बीजे रवि, निदेशक (सुरक्षा) & प्रभारी, आरएलआई, चेन्नई.

प्रशिक्षण समन्वयक:

श्री। जरपुला महेश, सहायक निदेशक (सुरक्षा), क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई.

नामांकन:

नामांकन 30 नवंबर, 2026 **को या उससे पहले सहायक निदेशक (एस)**, औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग को **भेजा जा सकता है।**

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश इस संस्थान / पाठ्यक्रम समन्वयक से पुष्टि के अधीन है।

सम्पर्क करने का विवरण:
फोन: 8686168724, वेबसाइट: www.dgfasli.gov.in
ई-मेल:mahesh.jarpula@dgfasli.nic.in,
rlichennai@dgfasli.nic.in

नामांकन-सह-पंजीकरण फॉर्म

" डॉक नियमों और आईएमडीजी कोड के अनुपालन में बंदरगाह, डॉक और समुद्री सुरक्षा " पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(02 – 04 दिसंबर 2026)

पर

रीजनल लेबर इंस्टिट्यूट अड्यार, चेन्नई-600113

प्रतिभागी का विवरण

नाम (ब्लॉक अक्षर) :

पदनाम :

संचार के लिए पता :

आयु :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नं. :

प्रायोजक संगठन का विवरण

नाम और पता :

टेलीफोन नं. मोबाइल नंबर :

ई-मेल :

फैक्स नं. :

आवास : आवश्यक/आवश्यक नहीं

भुगतान विवरण : **भारतकोष रसीद संख्या-**

दिनांक:

श्रेणी : (जनरल/एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/एनईआर*)

*=पूर्वोत्तर क्षेत्र

दस्तख़त।

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, CHENNAI
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION)
(INDUSTRIAL SAFETY DIVISION)

Training Programme on "Port, Dock & Maritime Safety in compliance with Dock regulations & IMDG Code" (02nd – 04th December 2026)

ABOUT THE INSTITUTE:

The Regional Labour Institute (RLI), Chennai, a subordinate office of DGOSH(Formerly Known as DGFASLI), provides technical assistance and services in the areas of Occupational Health, Safety, and Environment for the Southern Region of India. Additionally, RLI Chennai organizes training programs and conducts courses on OSH (Occupational Safety and Health).

ABOUT THE COURSE:

Port, dock and maritime operations involve significant occupational safety and health risks associated with cargo handling, lifting appliances, ship–shore interfaces, hazardous goods, vehicle movement and confined-space work. Non-compliance with dock safety regulations and the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code may result in accidents, occupational illnesses, property damage and environmental emergencies.

This three-day training programme aims to enhance participants' competencies in hazard identification, risk assessment and preventive measures. It will cover statutory compliance, safe cargo handling, inspection of lifting appliances, dangerous-goods management, occupational health, emergency preparedness and incident management to promote safer port and maritime operations.

OBJECTIVE:

The training programme aims to:

- Understand OSH hazards in port, dock and maritime operations.
- Enhance knowledge of dock safety regulations and statutory requirements.
- Develop skills in hazard identification, risk assessment and JSA.
- Promote safe operation, inspection and maintenance of cargo-handling and lifting equipment.
- Understand IMDG Code requirements for the safe handling and transport of dangerous goods.
- Enhance awareness of occupational health, industrial hygiene, ergonomics and PPE.
- Strengthen emergency preparedness, fire safety, spill response and incident management.

COURSE HIGHLIGHTS:

This training programme will be delivered through expert-led sessions, case studies, and interactive discussions to ensure effective learning and practical application in workplace scenarios.

- National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace.
- Introduction to OSHWC Code 2020.
- Dock Workers' Safety, Health and Welfare – regulatory requirements and safe work practices.
- Cargo handling, lifting appliances and port equipment – safe operation and inspection.
- International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code – classification, packaging, labelling, documentation and handling.
- Ship–shore interface, mooring operations, access to ships and confined-space safety.
- Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Job Safety Analysis (JSA).
- Occupational health, industrial hygiene and ergonomics in port and dock operations.
- Emergency preparedness, fire safety, spill response and incident management.
- Heat Wave Preparedness and Mitigation Measures

PARTICIPATION:

The programme is intended for port and dock officials, safety professionals, maritime personnel, engineers, cargo-handling supervisors, hazardous-goods handlers, contractors and logistics managers. It is also suitable for personnel involved in occupational health, industrial hygiene, equipment inspection and maintenance, fire safety, emergency response and statutory compliance in port and maritime operations.

DATE AND TIMINGS:

Three days, 02nd to 04th Dec 2026 from 1000 Hrs to 1700 Hrs.

VENUE:

Webinar Hall of Regional Labour Institute, Chennai Adyar, TTTI, Taramani Post, Tamil Nadu-600113

1) Institute Fees: Rs.5000/- (Rupees Five Thousand only) per participant is payable through the Bharat kosh portal. Payment can be made online by following steps, **after receiving confirmation of nomination from the RLI, Chennai**. Please note, the institution fee does not cover refreshments or working lunch.

2) Payment procedures:

Login to https://bharatkosh.gov.in Select Quick Payment Ministry: 021- Labour & Employment Purpose: Services and services fees
Pay & Account Office (PAO): 030461 – PAO, DGE&T II, Chennai
DDO Code: 230475 (Regional Labour Institute) Remarks: Training Program on "Port, Dock & Maritime Safety in compliance with Dock regulations & IMDG Code"

ACCOMMODATION:

Limited number of non-family hostel accommodation is available on twin sharing basis in the Hostel of the institute at central government prescribed rate. Allotment will be made on "first come first serve" basis.

TRAINING HEAD: Shri. B. J Ravi, Director (Safety) & In- Charge, RLI, Chennai.

TRAINNG CO-ORDINATOR:

Shri. Jarpula Mahesh, Asst. Director(S), RLI, Chennai.

NOMINATION:

Nomination may be sent to **The Assistant Director (S)**, Industrial Safety Division, on or before **30th November, 2026.**

Admission to this training programme is subject to confirmation from this Institute/ Course Co-Ordinator.

Contact Details:
Phone: 8686168724, Website: www.dgfasli.gov.in
E-mail: mahesh.jarpula@dgfasli.nic.in, rlichennai@dgfasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

"Training Program on "**Port, Dock & Maritime Safety in compliance with Dock regulations & IMDG Code**"

(02nd – 04th December 2026)

at

REGIONAL LABOUR INSTITUTE ADYAR, CHENNAI-600113

PARTICIPANT'S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation **:** Required / Not Required

PAYMENT DETAILS **:** **Bharatkosh receipt number-**

Dated:

BELONGS TO **:** (GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

SIGNATURE